कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़)
E-mail :- divisionmanendragarh@rediffmail.com, Ph. 07771-241349, Fax 243731

क्रमांक/त.अ./2023/1146 **मनेन्द्रगढ़, दिनांक 26/04/2023**
प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वन वृत्त
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Manendragarh Forest Division under Korea District of Chhattisgarh State, Area- 9.406 ha.
पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43521/2019.

संदर्भ – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/एल.एम.–115–793A/2469 रायपुर, दिनांक 04.10.2021

—00—

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेकलिस्ट अनुसार जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्ताव तैयार कर डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिंदु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है :–

बिन्दु क्र.	संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ क्र.
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 1) जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा मनेन्द्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 9.406 हे. वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहतमांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। (मांग पत्र संलग्न)	01 से 01
2	रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/43521/2019 आवंटित किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु आनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छाया प्रति आनलाईन एक्नॉलेजमेंट स्लिप की छाया प्रति संलग्न है।	02 से 12
3	आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत वन परिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़, बिहारपुर, केल्हारी, बहरासी, कुवांरपुर एवं जनकपुर के वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित आरक्षित वन 4.591 हेक्टे. संरक्षित वन 4.158 हेक्टे. राजस्व वनभूमि 0.657 हेक्टे. कुल आवेदित वन भूमि रकबा 9.406 हेक्टे. है।	13 से 32
4	मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 6.61 हेक्टे. है।	33 से 35
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र संलग्न है।	36 से 50

6	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप 1:50000 स्केल पर संलग्न है।	**51 से 53**
7	जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिला के मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 9.406 हेक्टे. का चयन किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गो के राईट ऑफ वे में 10 मी. के अंदर कार्य किया जाना है अतः इसमें वृक्ष विदोहन नहीं होना है। मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिला के भरतपुर ब्लॉक तथा मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक क्षेत्रांतर्गत 100 ग्राम–पंचायतों को 4जी नेटवर्क से जोड़ा जाना है। जिससे सभी पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेगें। जिससे ग्रामवासियों के पंचायत संबंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से संपादित होगें।	**54 से 62**
8	जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, एक दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता है, जिसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रयोजना के जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, द्वारा सभी 100 ग्राम पंचायतों तथा सरकारी दफतरों से भी जोड़ा जायेगा। जिसके अंतर्गत मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिले में 2 ब्लॉक 100 ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति मोबाइल तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी।	**63 से 63**
9	प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं। प्रमाण पत्र संलग्न है।	**64 से 64**
10	इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन किसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया है एवं उनके विरूद्ध किसी प्रकार के अधिनियम उल्लघंन की गयी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं हैं।	**65 से 65**
11	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा :– **भाग–1** – आवेदनकर्ता जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिला के मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत भरतपुर तथा मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को मोबाइल नेटवर्क से जोडने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे में 10 मी. के अंदर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 9.406 हेक्टेयर के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित पर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है। उपरोक्त केबल रूट की 0.50 मी. चौड़ाई पर 1.65 मी. की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है। **भाग–2**– मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़, बिहारपुर, केल्हारी, बहरासी, कुवांरपुर एवं जनकपुर के वनभूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित आरक्षित वन 4.591 हेक्टे. संरक्षित वन 4.158 हेक्टे. राजस्व वनभूमि 0.657 हेक्टे. कुल आवेदित वनभूमि रकबा 9.406 हेक्टे. प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल मार्ग के राईट–ऑफ–वे में रोड से 10 मी. पर किया जाना है। जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष का विदोहन शामिल नहीं है। तथा मार्ग के किनारे राईट–ऑफ–वे में वृक्ष विद्यमान नहीं है।	**66 से 85**
12	आवेदित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में एतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे है।	**86 से 86**
13	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिला के मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत 100 ग्राम पंचायतों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे में 10 मी. के अंदर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	**87 से 175**
14	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिला के कुल वन भूमि की रकबा 422600 हेक्टेयर है।	**176 से 176**
15	व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 7 प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि रकबा 292.744 हेक्टेयर है।	**177 से 177**
16	व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी 1 प्रकरण में कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि रकबा 4.600 हेक्टे. है।	**178 से 178**

17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. में की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी करीडोर न तो प्रस्तावित है न ही स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	179 से 179
18	आवेदित क्षेत्र के लिए वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र कलेक्टर मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिला को आवेदित है तथा अंतिम स्वीकृति के पूर्व प्रमाण पत्र जमा/संलग्न कर दिया जायेगा।	180 से 182
19	आवेदित क्षेत्र में राजस्व वनभूमि सम्मिलित है। राजस्व वनभूमि के उपयोग हेतु मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिला को अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	183 से 189
20	पंजीयन शुल्क तथा प्रस्संकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क कुल राशि क्रमशः 6000, 29000 एवं 29000 रूपये जमा कर दिया गया है। जिसे जिला कोषालय में वनमण्डल अधिकारी मनेन्द्रगढ़ के पी.डी. खाते में चालान क्रमांक क्रमशः 07 दिनांक 02.12.2021, 09 दिनांक 02.12.2021 एवं 10 दिनांक 02.12.2021 को जमा कर दिया गया है। चालान प्रतिलिपि संलग्न है।	190 से 193
21	इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।	194 से 194
22	डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट संलग्न है।	195 से 248

प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के वेबसाइट में parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है। उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रथम चरण की स्वीकृति के अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न सादर संप्रेषित है।

संलग्न :–
1. संदर्भित पत्र की छायाप्रति
2.. ऑनलाईन पार्ट–2 तथा टाईमलाईन
3. प्रस्ताव 4 प्रतियों में

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़

पृष्ठा क्रमांक/त.अ./2023/1157
मनेन्द्रगढ़, दिनांक –24/4/2023

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर–19 नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्पलेक्स नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, फोर्थ फ्लोर ऑफिस ब्लॉक, ऑफिस नम्बर. 401–405, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डु), रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ संप्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़